<u>**प्रेस-नोट**</u>

थाना कोतवाली, जनपद झाँसी

<u>**दिनाँक- 17.08.2025**</u>

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **छिनैती (झपटमारी) की घटना का सफल अनावरण,**
- **छीने गये ब्रेसलेट, अवैध-असलहा कारतूस सहित 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 17.08.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत चौकी नई बस्ती क्षेत्र में रात्रि गस्त के दौरान मुखविर की सूचना पर अभियुक्त 1- सोनू साहू पुत्र सूरज साहू उम्र करीब 18 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद झाँसी 2- प्रशान्त प्रजापति उर्फ कल्लू पुत्र राजू प्रजापति उम्र करीब 18 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी 3- विमल यादव पुत्र सुदामा यादव उम्र 22 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर रोड ओवरब्रिज के पास दिनाँक 29.07.2025 को घटित छिनैती (झपटमारी) की घटना से सम्बन्धित चाँदी का ब्रेसलेट, 02 अवैध देशी तंमचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 530/- रुपये नगदी बरामद हुआ। छिनैती की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 304(2) बीएनएस में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई व अवैध असलहा-कारतूस के सम्बन्ध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 270/2025 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>**संक्षिप्त विवरण-**</u>

दिनाँक 16.08.2025 को वादी श्री अजीत कुमार पुत्र बृजेन्द्र कुमार निवासी खरेला थाना खरेला जनपद महोबा द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्वालियर रोड ओवरब्रज के पास अज्ञात लड़कों द्वारा उनके साथ हाथ में पहने चाँदी की 01 ब्रेसलेट व हाथ में लिए 01 हजार रुपये छीन कर भाग जाने की घटना के सम्बन्ध में दिये प्रार्थना-पत्र के आधार थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम द्वारा उक्त घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 17.08.2025 को अभियुक्त 1- सोनू साहू 2- प्रशान्त प्रजापति उर्फ कल्लू 3- विमल यादव उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 01 ब्रेसलेट, 02 अवैध देशी तंमचा 315 बोर, 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर व

530/- रुपये बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 269/25 धारा 304(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई व बरामद अवैध असलहा-कारतूस के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 270/2025 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण</u> –

1. सोनू साहू पुत्र सूरज साहू उम्र करीब 18 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास नई बस्ती थाना कोतवाली जनपद झाँसी
2. प्रशान्त प्रजापति उर्फ कल्लू पुत्र राजू प्रजापति उम्र करीब 18 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी
3. विमल यादव पुत्र सुदामा यादव उम्र 22 वर्ष निवासी लाल स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद झाँसी

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-</u> फिल्टर रोड क्रासिंग से पंचवटी जाने वाले रास्ते पर दूल्हे सैयद मजार के पास चौकी क्षेत्र नई बस्ती थाना कोतवाली झांसी/ 17.08.2025 समय करीब 01.35 बजे

<u>बरामदगी</u>-

1. 02 अवैध देशी तंमचा 315 बोर,
2. 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर ,
3. 01 ब्रेसलेट चाँदी का ,
4. 530/- रुपये नगद

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. निरी0 श्री राजेश पाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवालीझाँसी , ।
2. उ0नि0 श्री नितीश कुमार चौकी प्रभारी नईबस्ती थाना कोतवाली झांसी ।
3. का0 62 कपिल चाहर थाना कोतवाली जनपद झांसी ।
4. का0199 राजेश कुमार थाना कोतवाली जनपद झांसी ।
5. का0 1879 गजेन्द्र सिह थाना कोतवाली जनपद झांसी ।